प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 24.04.2026

➢ **थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम मे आज थाना अकबरपुर पुलिस को वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता मिली।दिनांक 21.04.2026 को थाना अकबरपुर पर वादी अतरसिंह पुत्र स्व0 शिवराम सिंह निवासी ग्राम कचनार बगिया थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 20.04.2026 को रात्रि करीब 09.30 बजे मेरे गांव के ही विपक्षीगण 1. अनुज यादव, 2. आलोक यादव पुत्रगण स्व0 रामकृपाल, 3. अनमोल पुत्र शिवकुमार, 4. रजत यादव पुत्र नरपथ सिंह, 5. चन्द्रपाल उर्फ झुरई पुत्र स्व0 मोहन लाल द्वारा एक राय होकर, अवैध कट्टे व असलाह लेकर गांव में आंतक फैलाने की नियत आवेदक के दरवाजे पर आकर मेरे दरवाजे पर हेमेन्द्र उर्फ पिन्टू पूर्व प्रधान की खड़ी कार संख्या UP77AM0365 तोड़फोड़ व फायरिंग करना, जिससे मोनू उर्फ तेजबीर उर्फ बाबू सिंह के चेहरे पर चोट आना व गांव के काफी लोग इकठ्ठा होने पर अभियुक्तगण गाली गलौच करते हुए भाग जाने आदि के सम्बन्ध में दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 109/191(2)/191(3)/190/352/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित नामित अभियुक्त आलोक यादव पुत्र स्व0 रामकृपाल यादव निवासी ग्राम कचनार बगिया थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 23.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर कचनार बगिया ज्योतिष तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

आलोक यादव उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र स्व0 रामकृपाल यादव निवासी ग्राम कचनार बगिया थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त आलोक यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 451/2021 धारा 34/323/352 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 141/2022 धारा 147/148/307/323 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0स0 80/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0स0-162/2026 धारा 109/191(2)/191(3)/190352/324(4) बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आनन्दवीर सिंह सोलंकी
2. का0 223 इन्द्रदेव